राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः– एफ2(1564)पार्टIII / स्था / पमु / दिनांकः

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में दिनांक 07.07.2017 को अस्थाई परिणाम घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गयी, में नियुक्तियां आवंटित पदो के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डीबी स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.2018 को पारित निर्णय की पालना में दिनांक 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी रिट पिटिशन संख्या 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.07.2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.एस.ए.डब्ल्यू. संख्या 1666/2017 बाबल देवी मीना व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा विभिन्न अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 27.4.2018 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुपालना में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(8)प्र.सु/अनु.–3/2017 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा विभाग को आवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Probationer-Trainee) के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के शिड्युल 4 के तहत लेवल 5 में रूपये 14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छ सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से उनके सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन एतद् द्वारा किया जाता है :–

क्र. स.	नाम अभ्यार्थी	मेरिट न.	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	श्री सुनिल कुमार पारीक पुत्र श्री रामावतार पारीक	R-821	01.07.1994	उप पंजीयक कार्यालय सांभर जिला जयपुर

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।

2. अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

4. उक्त नियुक्तियॉ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प्र./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.15 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.15 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्य अवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.16 में वर्णित दिशा निर्देशो के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसुची–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, आदि देय नही होंगे। उक्त नियुक्ति मे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) 2017 की शर्ते प्रभावी रहेंगी।

6. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नही होगी।

7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या 5 मे नियमानुसार वेतन एंव अन्य भत्ते देय होंगे।

8. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा मे कार्यरत हैं उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्ति आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थियों का पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिलें मे किया जा सकता है।

11. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा एवं अन्य भत्ते देय नही होंगे।

12. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.1(6)वित्त/नियम/2011 दिनांक 15.2.2012 द्वारा प्रतिस्थापित राजस्थान सेवा नियम–122क (i) के अनुसार प्रोबेशनर–प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित नही होगा।

13. परिवीक्षाधीन अवधि में अभ्यर्थी का कार्य/आचरण संतोषप्रद नही पाये जाने की स्थिति में "The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial service rules, 1999" के नियम 40(1) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल अवधि बढायी जा सकती है और बिना किसी क्षतिपूर्ति के किसी भी समय सेवा से विमुक्त/सेवा समाप्त की जा सकती है।

14. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 एंव 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होगे।

15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगे।

16. कार्यग्रहण करने के पश्चात भविष्य मे किसी पद हेतु आवेदन करने या प्रतियोगी परीक्षा मे सम्मिलित होने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।

17. कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों मे तैयार की जावे। एक प्रति संबंधित अधिकारी एंव दूसरी प्रति महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को आवश्यक रूप से भेंजे। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावें।

S/-
(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक
पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः– एफ2(1564)पार्टIII/स्था/पमु/7450-7456

दिनांकः 09.07.2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) राजस्थान जयपुर को पत्रांक प.1(6)प्र. सु/अनु–3/2017 दिनांक 27.09.2019 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सयुंक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक वृत जयपुर तृतीय।
5. उप पंजीयक सांभर जिला जयपुर।
6. अभ्यार्थी श्री सुनिल कुमार पारीक s/o रामावतार पारीक 20, जगदीशपुरी द्वितीय बालाजी धर्म कांटे के पीछे हरमाडा जयपुर (राजस्थान)।
7. निजी पत्रावली श्री सुनिल कुमार पारीक।
8. गार्ड फाईल।

(अनिता चौधरी)
उप महानिरीक्षक(कर)